

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@vishwa.ac.in
दूरभाष क्र. : (07582) 237118

पत्र क्र.- राभाप्र./33/2025/ 4065

दिनांक: 17/11/2025

परिपत्र/Circular

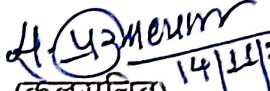
विषय: राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 का प्रभावी अनुपालन

Subject: Effective Compliance of Rule- 5 of O.L. Rules, 1976 (As amended, 1987)

राजभाषा नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाना है। हमारा विश्वविद्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित है अर्थात् हमारे कार्यालय के 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारीगण हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र 'क' में स्थित होने के नाते हमारा शत-प्रतिशत मूल पत्राचार तो हिंदी में होना ही चाहिए साथ ही अंग्रेजी/हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी अनिवार्यतः हिंदी में ही दिये जाने चाहिए।

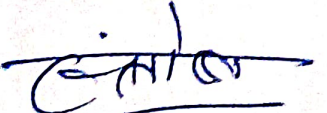
अतः उक्त संबंध में निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण हिंदी/अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों (ई-मेल सहित) का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दें। हिंदी में प्राप्त पत्र आदि के उत्तर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उत्तर हिंदी भाषा में है ताकि राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

आदेशानुसार,


(कुलसचिव) 14/11/2025

प्रतिलिपि:-

1. समस्त निदेशक, प्रशासनिक एवं अध्ययनशाला
2. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्र प्रभारीगण
3. नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा/प्रकोष्ठ
4. प्रभारी वित्ताधिकारी एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक
5. समस्त शिक्षकगण/अधिकारीगण/कर्मचारीगण
6. प्रभारी, जनसंपर्क अधिकारी
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ- वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
9. कुलसचिव के निजी सहायक- सादर सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल



(राजभाषा अधिकारी)